चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 26.04.23

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 12 जिलों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक) में नगरीय निकायों के 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अप्रेल–मई, 2023 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 21.04.2023 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करे।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।
उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय ।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 1161 दिनांक 06.04.2023 के कम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निबन्धक ,राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. सम्भागीय आयुक्त अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर।
16. जिला कलक्टर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक ।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1,3,4,5,6)विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करें।
23. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid
Digitally signed by S[illegible]y Kishnani
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2023.04.2[illegible] [illegible]5:32:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3709905

8620 online

आवक संख्या 12/4/23
कार्यालय शासन सचिव, सामान्य प्रशासन,
मंत्रिमण्डल सचिवालय, सम्पदा,
स्टेट मोटर गैराज, नागरिक उड्डयन विभाग,
राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/1161 दिनांकः–06/04/2023

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह अप्रेल–मई, 2023 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 12 जिलों में 14 सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 21.04.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

सलंग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

AS (ग्रुप-2)

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/1162 दिनांकः–06/04/2023

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12/4

(अपर्णा शर्मा)
सहायक सचिव

13/4/23

E:\NAGARPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(3) NP SEC 2022_bye-election , 2022.doc
51

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन ... जयपुर
प्राप्ति सं. 1253203
दिनांक 13 APR 2023

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकाय सदस्यों के उप चुनाव अप्रेल–मई, 2023 –

उप चुनाव कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	21.04.2023 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	25.04.2023 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	26.04.2023 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	28.04.2023 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	29.04.2023 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	07.05.2023 (रविवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	08.05.2023 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

चित्रा
05/04/2023

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उप चुनाव अप्रेल–मई, 2023 –
उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डो की सूची

क.सं.	जिले का नाम	क.सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प. ब्यावर	55
2.	भरतपुर	2.	न.नि. भरतपुर	06
3.	बीकानेर	3.	न.पा. डूंगरगढ़	02
4.	चित्तौड़गढ़	4.	न.पा. निम्बाहेड़ा	16
5.	चुरू	5.	न.प. सुजानगढ़	47
6.	धौलपुर	6.	न.प. धौलपुर	07
7.	जयपुर	7.	न.पा. जोबनेर	13
8.	कोटा	8.	न.पा. इटावा	27
9.	पाली	9.	न.पा. सादडी	25
10.	सीकर	10.	न.पा. लोसल	20
		11.	न.पा. लोसल	10
		12.	न.पा. रींगस	32
11.	श्रीगंगानगर	13.	न.पा. पदमपुर	21
12	टोंक	14.	न.पा. उनियारा	13

चित्रा